उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग–9
संख्या–1986 / छः–पु0–9–15–31(90) / 2010
लखनऊः दिनांकः 10 जुलाई, 2015

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या–10, सन् 1897) की धारा–21 के साथ पठित दण्ड प्रकिया संहिता 1973 (अधिनियम संख्या–2, सन् 1974) की धारा 357–क के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल केन्द्र सरकार से समन्वय करके उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना,2014 से संबंधित सरकारी अधिसूचना संख्या–653 / छः–पु0–9–2014–31(90) / 2010, दिनांक 09 अप्रैल,2014 में निम्नानुसार संशोधन करते हैं:–

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में, अनुसूची–1 में, क्रम संख्या–6 के पश्चात् निम्नलिखित क्रमांक बढ़ा दिया जायेगाः–

7. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा–4, 6, 7, 9, 11 और 14 के अधीन अपराध	
(क)प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा–4)	रू0 2,00,000 / –
(ख)गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा–6)	रू0 2,00,000 / –
(ग)लैंगिक हमला (धारा–7)	रू0 1,00,000 / –
(घ)गुरूत्तर लैंगिक हमला (धारा–9)	रू0 1,50,000 / –
(ड.)लैंगिक उत्पीड़न (धारा–11)	रू0 1,00,000 / –
(च)अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग (धारा–14)	रू0 1,00,000 / –

आज्ञा से

नीना शर्मा
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग–9
संख्या–1986 / छः–पु0–9–15–31(90) / 2010
लखनऊः दिनांकः 10 जुलाई, 2015

उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, 2014 में संशोधन की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
(4) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5) महानिदेशक अभियोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(6) समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(8) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया हिन्दी एवं अंग्रेजी अधिसूचना जन साधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने एवं कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।
(9) निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को उक्त अधिसूचना गृह विभाग की वेवसाइट पर लोड करने हेतु प्रेषित।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमर सेन सिंह)
संयुक्त सचिव।

महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या-614/छः-पु0-15-2015

प्रेषक,

कमल सक्सेना,
सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस)अनुभाग-15 दिनॉक 05 अगस्त, 2015

विषयः-उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना-2014 में हुये संशोधन दिनांक 10.07.2015 के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि रिट पिटिशन (क्रिमिनल) संख्या-129/2006 लक्ष्मी बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.02.2011 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उ0प्र0पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना-2014 दिनांक 09.04.2014 द्वारा अधिसूचित किया गया, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित छः श्रेणियों में अपराध से पीड़ित व्यक्ति को निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत तत्काल आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था हैः-

क्र0सं0	हानि या क्षति का विवरण	क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
1	बलात्कार	रू0-2,00,000/-
2	मानसिक संताप के कारण हुई हानि या क्षति	रू0-1,00,000/-
3	संक्षारक पदार्थ अर्थात तेजाब आदि हमले से पीड़ित	रू0-3,00,000/-
4	मृत्यु (गैर कमाने वाले सदस्य)	रू0-1,50,000/-
5	मृत्यु (कमाने वाले सदस्य)	रू0-2,00,000/-
6	मानव तस्करी से पीड़ित	रू0-2,00,000/-

2. पीड़ित के पास इस अधिसूचना दिनांक 09.04.2014 के तहत आर्थिक सहायता पाने के लिये विभिन्न व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि- ट्रॉयल कोर्ट द्वारा आर्थिक सहायता हेतु संबंधित प्रकरण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को (डी0एल0एस0ए0) संदर्भित किया जाना। पीड़ित द्वारा डी0एल0एस0ए0 के पास जाना और स्वयं आवेदन करना।

यहां यह भी उल्लिखित करना उचित होगा कि कोई भी छः श्रेणियों के प्रकरण जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में आने पर पीड़ित को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास (डी0एल0एस0ए0) भेज सकते है।

--2--

जैसा कि आप अवगत ही हैं कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डी0एल0एस0ए0) के अध्यक्ष जिले के जिला जज होते हैं और सीनियर जुडीशियल मजिस्ट्रेट उसके सचिव होते हैं। यह योजना पीड़ित को तत्काल आर्थिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई है ताकि ट्रॉयल और फाइन्डिंस समयावधि से बाधित न हों।

3. गृह विभाग द्वारा दिनॉक 07.05.2015 को रूपये दो करोड़ की धनराशि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एस0एल0एस0ए0) को हस्तांतरित की गई है। जब भी किसी पीड़ित का प्रकरण डी0एल0एस0ए0 द्वारा निर्धारित किया जाता है, वह प्रक्रियानुसार एस0एल0एस0ए0 से उस धनराशि को प्राप्त कर पीड़ित के खाते में डालेगा।

उ0प्र0पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना-2014 का संशोधन दिनांक 10 जुलाई, 2015 को निर्गत किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के चीफ जस्टिस की डबल बेंच के आदेशों के अनुपालन में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पाक्सो एक्ट-2012) के अंतर्गत छः लैंगिक अपराधों को भी आर्थिक सहायता स्कीम के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, जो निम्नवत् है:

क्रमांक-7	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन अपराध		
(क)	<u>सेक्शन-4</u>	प्रवेशन लैंगिक हमला (Penetrative Sexual assault)	रू0-2,00,000/-
(ख)	<u>सेक्शन-6</u>	गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला (Aggravated penetrative Sexual assault)	रू0-2,00,000/-
(ग)	<u>सेक्शन-7</u>	लैंगिक हमला (Sexual assault)	रू0-1,00,000/-
(घ)	<u>सेक्शन-9</u>	गुरूत्तर लैंगिक हमला (Aggravated Sexual assault)	रू0-1,50,000/-
(ड.)	<u>सेक्शन-11</u>	लैंगिक उत्पीड़न (Sexual harrassment)	रू0-1,00,000/-
(च)	<u>सेक्शन-14</u>	अश्लील प्रयोजनों के लिये बालक का उपयोग (Using Child for Pornographic purpose)	रू0-1,00,000/-

उ0प्र0 में पास्को अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तर पर डीजीसी,क्रिमिनल (जिला शासकीय अधिवक्ता, अपराध) द्वारा मा0न्यायालय में उपस्थित होकर पैरवी की जाती है और अन्य प्रकरणों में विभिन्न न्यायालयों में अभियोजन अधिकारी एवं ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारियों द्वारा आवश्यक पैरवी की जाती है। आम आदमी को वास्तविक रूप से संशोधित उ0प्र0पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना-2014 का लाभ मिलने हेतु यह आवश्यक है कि संशोधित अधिसूचना का प्रचार-प्रसार आपके नेतृत्व में स्थानीय समाचार पत्रों में किया जाए एवं आपके अधीनस्थ समस्त डी0जी0सी0 (क्रिमिनल) समस्त अभियोजन अधिकारी को अवगत कराया जाये।

--3--

4. इसके साथ ही जिले में अपराध बैठकों में प्रतिमाह इसकी रिपोर्ट तैयार करायी जाय। जनपद में कुल कितने पीड़ितों द्वारा इन 12 प्राविधानों के अंतर्गत आर्थिक सहायता हेतु आवेदन किये गए हैं और कितने पीड़ितों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है, इस हेतु जनपदवार डेटा एकत्र किये जाने हेतु एस0पी0 नोडल अधिकारी होगा। प्रारूप संलग्न है।

5. जिला जज के साथ होने वाली जिला स्तरीय मॉनीटरिंग बैठक में भी डीएम/एसपी द्वारा उ0प्र0पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना-2014 के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की जायेगी और प्राप्त सूचनाओं को क्रासचेक की जायेगी, ताकि कोई अन्य योजना में डुप्लीकेसी न हो सके। संबंधित पुलिस अधीक्षक जिले में प्रतिमाह उ0प्र0पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना-2014 के कार्यान्वयन के बारे में डी0जी0पी0 को सूचना देगा, जिसकी एक प्रति गृह पुलिस अनुभाग-15 को भी भेजी जाएगी।

1- उ0प्र0पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना-2014, दिनांक 09.04.2014

2-संशोधित उ0प्र0पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना-2014, दिनांक 10.07.2015

3-रिर्पोटिंग प्रारूप।

भवदीय

(कमल सक्सेना)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0, लखनंऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने स्तर से समस्त जिलास्तरीय अभियोजन अधिकारी को सूचित करने का कष्ट करें।
3. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने स्तर से समस्त जिला शासकीय अधिवक्ता (क्रिमिनल) को सूचित करने का कष्ट करें।
4. पुलिस महानिदेशक, महिला सम्मान प्रकोष्ठ, उ0प्र0, लखनऊ ।
5. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एस0एल0एस0ए0), उ0प्र0, लखनऊ ।
6. समस्त आयुक्त/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

5/8/15

(मिनिस्ती एस0)
विशेष सचिव।

माह वार रिपोर्ट का प्रारूप

क्रमांक	माह	प्राप्त प्रार्थना पत्र की संख्या	उ0प्र0 पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना-2014 के अन्तर्गत दिये गये 12 अपराध की श्रेणियों में कुल प्राप्त प्रार्थना पत्र की संख्या		पीड़ित को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी गयी सहायता का विवरण	अभियुक्ति
			अपराध श्रेणी 1 से 6	पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत 6 श्रेणी		
1	2	3	4	5	6	7